अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02 /2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. रामू जाट पुत्र श्री भूराराम जाति जाट
2. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री रामू जाट

निवासी 117,ग्राम सुन्दरियावास, पोस्ट दुर्जनियावास, वाया कालवाड, जिला जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये लोक अभियोजक
2. मदन लाल चौधरी पुत्र श्री रामू जाति जाट
3. श्रीमती राजू देवी पत्नी श्री मदन लाल चौधरी

निवासी 117,ग्राम सुन्दरियावास, पोस्ट दुर्जनियावास, वाया कालवाड, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 17.11.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 84/2022 ब उनवानी रामू जाट बनाम मदन लाल चौधरी व अन्य

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी संख्या एक मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 04.03.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 84/2022 ब उनवानी रामू जाट बनाम मदन लाल चौधरी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी 2 व 3 मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई किन्तु प्राप्त नहीं हुई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। प्रत्यर्थी संख्या 3 दिनांक 13.07.2023 को उपस्थित हुई इसके पश्चात दौराने बहस प्रत्यर्थी संख्या 3 उपस्थित नहीं जिससे प्रत्यर्थी संख्या 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. बहस अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 की सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलार्थीगण की ओर से दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण ने वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 में पुत्र व पुत्रवधुओं द्वारा लगातार बेवजह हैरान, परेशान, मारपीट व गृह क्लेश करने के कारण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के समक्ष मकान से बेदखल किये जाने का दावा किया था ना कि सम्पत्ति के बंटवारे का। अपीलार्थीगण ने सम्पत्ति के बंटवारे का अनुतोष चाहा होता तो सिविल कोर्ट में परिवाद दायर करते। अपीलार्थी अपने पुत्र व पुत्रवधु के कृत्यो से परेशान होकर अपने आवास से बेदखल करने का दावा किया था जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ अधिकरण को शक्तियां प्राप्त है, लेकिन अधीनस्थ अधिकरण ने विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग नहीं किया है तथा अपीलार्थीगण के उक्त मकान से बेदखली के अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा निस्तारित करने हेतु कहा गया है जिससे अपीलार्थीगण संतुष्ट नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण के आलौच्य आदेश दिनांक 17.11.2022 को मोडिफाई एवं अल्ट्रेट किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अपीलार्थीगण सीनियर सिटीजन है तथा अक्सर बीमार रहते है । प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपीलार्थीगण से कहा जाता है कि उक्त मकान प्रत्यर्थीगण के नाम करें। प्रत्यर्थी संख्या 3 राजू देवी को ऐसा कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त निवास स्थान अपीलार्थी रामू जाट की स्वयं की सम्पत्ति है तथा प्रत्यर्थीगण को यह सोच कर उक्त मकान मे निवास करने की ईजाजत दी थी कि वे अपीलार्थीगण की सेवा करेंगे तथा उनके सुख दुख मे में उनका ध्यान रखेगें लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 की नियत में फितूर आ गया तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 आये दिन अपीलार्थीगण से छोटी–छोटी बातो पर हैरान, परेशान एवं प्रताड़ित करती रहती है। अतः अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2022 को मोडीफाई एवं अल्ट्रेट किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 3 राजू देवी को अपीलार्थीगण के उक्त वर्णित स्वयं के मकान स्थित ग्राम सुन्दरियावास पोस्ट दुर्जनियावास वाया कालवाड जिला जयपुर से बेदखल करने का आदेश एवं अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा अपीलार्थीगण से ना करने हेतु पाबद करने के आदेश फरमावे ।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि अपीलार्थी शीघ्र ही उक्त विवादित मकान को खाली कर अन्यत्र शिफ्ट हो जायेगा ।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश 17.11.2022 से अपीलार्थीगण के पुत्र मदन लाल चौधरी को 4000/–रूपये प्रति माह अपालार्थीगण को दिये जाने के आदेश दिये गये है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील में भरण पोषण की राशि में किसी प्रकार के परिवर्तन की मांग अपील में नहीं की गई है। अपीलार्थीगण के साथ को गाली गलौच, मारपीट व प्रताडित नहीं करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पाबन्द किया हुआ है। अतः भरण पोषण की देय राशि व अपीलार्थीगण के साथ प्रत्यर्थीगण द्वारा गाली–गलौच व प्रताडित नहीं करने हेतु प्रत्यर्थीगण 2 व 3 को दिये गये पावन्दी आदेश को यथावत रखा जाता है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी 2 व 3 की प्रताड़ना से पीड़ित होकर अपने स्वयं के मकान से प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को बेदखल कर कब्जा दिलाने का अनुतोष चाहा था। जिसे बंटवारे का मामला मानते हुये अधीनस्थ अधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

9. अपीलार्थी संख्या 01 के स्वामित्व की सम्पति स्थित ग्राम सुन्दरियावास पोस्ट दुर्जनियावास से प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को बेदखल करने का आदेश दिया जाता है।

10. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर